मु.नं.–15 / 2021 GCMS ID-2021/25 ता.रजु–04.02.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कल्याण प्रसाद शर्मा, निवासी तांबे की टौरी, शुक्ल खिड़किया के पास, करौली मो.नं. 8905211717 – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–02.03.2021

1. अपीलार्थी को दिनांक 17.02.2021, 24.02.2021, 02.03.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन दिनांक 21.12.2020 प्रेषित कर करौली जिले में विविध विकास खण्डों में कार्य करने वाली पंजीकृत व गैर पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीकरण, कार्य स्थल, गठन का मूल स्थान, उनका कार्य, उनके पदाधिकारियों, कार्य अवधि, उनके कार्य से कार्यस्थल पर आये प्रभाव आदि की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 68 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध, सहकारिता विभाग से था। अतः दिनांक 29.12.2020 को अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 714 दिनांक 29.12.2020 द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली को अंतरित कर दिया गया था। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. प्रत्यर्थी के कार्यालय में अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 29.12.2020 को प्राप्त होने पर उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 714 दिनांक 29.12.2020 द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली को अंतरित कर दिया गया था। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली